उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
रिट पिटिशन (फौजदारी) सं0 2025 सन् 2018

शमीम अंसारी .....याचिकाकर्ता ।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....उत्तरदातागण।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री मोहम्मद सफ़दर, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से श्री संदीप टंडन, उप महाधिवक्ता एवं कु0 मनीषा राणा सिंह, सहायक सरकारी अधिवक्ता ।

माननीय लोकपाल सिंह, जज,

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित अनुतोष याचित करने हुये दायर की गयी है कि –

1) थाना कोतवाली, गंगनहर, रूड़की, जिला हरिद्वार में दिनांक 12.10.2018 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 495 सन् 2018 अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 एवं धारा 103, 104 व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 को निरस्त किये जाने के लिये उत्प्रेषण प्रकृति का रिट आदेश जारी किया जाये।

2) परमादेश प्रकृति का रिट आदेश उत्तरदाताओ के विरूद्ध जारी किया जाये कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को थाना गंगनहर, रूड़की, जिला हरिद्वार में पंजीकृत मु0अ0सं0 495 सन् 2018 अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 एवं धारा 103, 104 व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के मामले में गिरफतार न किया जाये।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप हैं कि दिनांक 11.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 को एक सूचना प्राप्त हुयी कि क्वालिटी पेंट्स, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया रूड़की में नकली बिरला व्हाईट वाल केयर पुट्टी बनायी व बेची जा रही है, इस सूचना पर शिकायतकर्ता व उसकी कम्पनी का एक अन्य अधिकारी रूड़की पहुॅचा एवं पुलिस की सहायता से उक्त फैक्ट्री में गये जहॉ बिरला वॉल केयर पुट्टी के कुछ खाली बैग व कुछ बैग नकली बिरला वॉल केयर पुट्टी के भरे बरामद किये गये, यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता व पुलिस को देखकर उक्त फैक्ट्री के मालिक (याचिकाकर्ता) मौके से भाग गयी। उसका नौकर मनोज मौके पर पाया गया जिससे पूछताछ करने पर उसने उक्त फैक्ट्री के मालिक का नाम शमीम अंसारी (वर्तमान याचिकाकर्ता) बताया गया तथा उसने सालियार मे टाटा शोरूम, देहरादून रोड स्थित एक अन्य फैक्ट्री के बारे में भी जानकारी दी किन्तु जब उक्त पते पर पहुॅचे तो उक्त फैक्ट्री में शिकायतकर्ता की फैक्ट्री के उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा था।

3. मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा प्रथम सूचना रिर्पोट का सम्यक् परीशीलन किया गया।

4. यह सुस्थापित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्तियो या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 मे विहित अर्न्तनिहित शक्तियो का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिर्पोट मे वर्णित आरोपों के आधार पर ही आगे बढना है, न्यायालय को शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपो की अन्यथा सत्यता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल आदि 1992SCC (Cri) 426 आदि के मामले मे दी गयी विधि व्यवस्था मे उन मामलों को उदाहरण के रूप मे वर्गीकृत किया है जिनमें किसी न्यायलय की शक्ति के दुरूपयोग रोकने अथवा न्याय के उददेशयों की प्राप्ति के लिये ही ऐसी शक्तियो का प्रयोग किया जा सकता हैः–

(1) जहॉ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाये गये आरोपो को अक्षरशः विचार मे ले लेने से भी उनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नही होता है।

(2) जहॉ प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य उपलब्ध सामग्री, यदि कोई हो, के आधार पर भी किसी संज्ञेय प्रकृति के अपराध का गठन ना होता हो और ऐसे मामलो मे जिनमे पुलिस अधिकारी के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द0प्र0सं0 की धारा 155(2) मे पारित किसी आदेश के बिना ही द0प्र0सं0 की धारा 156(1) मे अन्वेष्ण कर रहा हो ।

(3) जहॉ पर प्रथम सूचना रिर्पोट अथवा परिवाद मे निर्विादित प्रकृति के आरोप लगाये गये हों ओर उनके संमर्थन मे संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध का गठन होना नही पाया जाता हो।

(4) जहॉ पर प्रथम सूचना रिर्पोट से किसी संज्ञेय प्रकृति के अपराध का गठन ना होकर मात्र अंसेज्ञय प्रकृति के अपराध का गठित होना पाया जाये तो, वहॉ पर बिना मजिस्ट्रेट के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 155(2) मे पारित आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जाना अनुमत नही किया जायेगा।

(5) जहॉ प्रथम सूचना रिर्पोट मे लगाये गये आरोप या शिकायत इतनी बेतुकी और अस्वाभाविक है कि जिसके आधार पर किसी भी प्रज्ञावान के लिये यह विश्वास करना संभव ना हो कि मामले मे नामित अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही आंरभ करने का पर्याप्त आधार है।

(6) जब किसी ऐसी विधि मे ही, जिसमे की आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो, अथवा प्रकिया विधि मे ही ऐसा कोई स्पष्ट विधिक प्रतिबंध हो जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित एवं गतिमान रखा जाने को निहर्तित करता हो अथवा संबधित विधि एवं प्रक्रिया मे ही प्रभावित पक्षकार की शिकायत के निराकरण के लिये प्रभावी उपचार उपलब्ध हो ।

(7) जहॉ एक अपराधिक कार्यवाही मे दुर्भावना के साथ भाग लिया गया हो अथवा किसी बदला लेने के गुप्त एवं दुर्भावनापूर्ण मंशा अथवा किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण आरोपी को बदनाम करने के लिये दाण्डिक कार्यवाही गतिमान की गयी हो।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दिये गये उक्त दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुये इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में से किसी में आती है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध गठित होता है।

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरापों का खंडन भी नहीं किया है तथा याचिकाकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं यह भी वर्णित नहीं किया है कि वह किस नाम के ब्राण्ड के अन्तर्गत उत्पादन कर रहा था मात्र यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की प्रोपराईटर फर्म मै0 क्वालिटी पेन्ट्स कम्पनी है, जिसका जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या 05GIAPS1520K1ZC है इसके अतिरिक्त याची के द्वारा अपनी याचिका मे यह तक भी कथन नहीं किया है कि पुलिस उसे धारा 41क द0प्र0सं0 का नोटिस निर्गत किये बिना उसे गिरफतार करने का प्रयास कर रही है।

7. चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपो का याचिका में खण्डन नहीं किया गया है, जिस कारण यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकती है, यह भी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोप ना तो निरर्थक प्रतीत है एवं यह भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण से ग्रस्ति होकर किसी परोक्ष अभिप्राय से संस्थित की गयी है, ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय के मत में याचिकाकर्ता का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भजन लाल मामले में अवधारित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का कोई आधार विद्यमान नहीं है।

8. इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित किये जाने हेतु दूसरा बिन्दु यह है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता किसी अंतरिम सुरक्षा के लिये हकदार है या नहीं ? याचिकाकर्ता के द्वारा अपनी याचिका मे ऐसा कोई अभिवाक् नही किया है कि अन्वेष्णकर्ता अधिकारी के द्वारा उसे धारा 41–ए दं0प्र0सं0 के नोटिस जारी किये ही गिरफतार करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी अनुच्छेद 226 मे प्राप्त क्षेत्राधिकार अति विशिष्ट प्रकृति का है जो याचिका कर्ता को भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 गांरटी किये गये व्यैक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार को संरक्षित करने के लिये इस न्यायालय को सशक्त करता है, परंतु जैसा कि इस न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रस्तरों मे भी वर्णित किया है कि यह मामले की प्रथम सूचना रिर्पोट को निरस्त करने के लिये उपर्युक्त नही है, फिर भी यदि याचिकाकर्ता को मामले मे अपनी गिरफतारी का भय हो तो उसे संबधित न्यायालय मे दं0प्र0सं0 की धारा 438 के प्रावधानो के अर्न्तगत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है।

9. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित यू0पी0 एक्ट 16/1976 में वर्णित धारा 9 के प्रावधानो के द्वारा दिनांक 28.11.1975 से धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रावधानो का लोप कर दिया गया था। उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 09.11.2000 को अस्तित्व मे आया और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रावधानित कानून उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। संसद द्वारा अपनी दूरदर्शिता से धारा 438 द0प्र0सं0 में संसोधन करते हुये एक्ट न0. 25 सन् 2005 को अधिनियमित करते हुये उसकी धारा 38 मे धारा 438 द0प्र0सं0 को संसोधित किया है जो निम्नवत् है –

438. गिरफतारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिये निर्देश – (1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफतार किया जाए, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर

सकता है कि ऐसी गिरफतारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये अर्थात्:

- अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता
- आवेदक को पूर्ववत् जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संदेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है;
- न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता; और
- जहॉ आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अन्तरित आदेश देगा ;

परन्तु यह कि जहॉ, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये आवेदन को अस्वीकार कर दिया है वहॉ किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिये मुक्त रहेगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारण्ट के गिरफतार कर सके।

(1–क) जहॉ न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता है वहॉ वह तत्काल एक सूचना जो सात दिवस से अन्यून की सूचना न होगी के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति, न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से, लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देगा।

(1–ख) अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति, यदि लोक अभियोजक द्वारा इसके लिये दिये आवेदन पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्यायहित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय, बाध्यकार होगी।

10. संसद द्वारा अग्रिम जमानत हेतु द0प्र0सं0 में निर्मित विधि का उत्तराखण्ड राज्य में किसी विशिष्ट कानून बनाकर लोप नहीं किया गया है। अतः इस न्यायालय के मत में धारा 438 द0प्र0सं0 के प्रावधान, जिन्हे अधिनियम संख्या 25 सन् 2005 के द्वारा संसोधन से लागू किया गया है, उत्तराखण्ड राज्य में लागू है। न्यायालय द्वारा अधिनियम संख्या 25 सन 2005 का संज्ञान पूर्व मे नही लिया गया है, चूंकि धारा 438 द0प्र0सं0 उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है प्रयोज्य है, फलतः याचिकाकर्ता को यदि अपनी गिरफतारी का भय हो तो उसके पास उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध है।

11. अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में रिट याचिका निस्तारित की जाती है। कोई हर्जे का आदेश नही ।

(लोकपाल सिंह, जज)
30.10.2018